



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 167 राँची, शनिवार,

9 अप्रैल, 2022 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

अधिसूचना

9 अप्रैल 2022

संख्या:- 03नि0/पं0-154/2022 रा0नि0आ0 541..यतः झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 66 की उपधारा 4 के अधीन निर्गत की गई पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या 729 राँची, दिनांक 09.04.2022 द्वारा संलग्न अनुसूची 1, 2, 3 एवं 4 में अंकित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से यह अपेक्षा करते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के संदर्भ में वे अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों एवं आदेशों के उपबंधों के अनुसार प्रथम चरण में दिनांक 14.05.2022 को, द्वितीय चरण में दिनांक 19.05.2022 को, तृतीय चरण में दिनांक 24.05.2022 को एवं चतुर्थ चरण में दिनांक 27.05.2022 को अर्थात् कुल चार चरणों में मतदान कर पदधारी निर्वाचित कर दें;

अतः झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 36 के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड एतद् द्वारा चार चरणों में क्रमशः अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 एवं अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नरूपेण चार चरणों के लिए प्रक्रमों को नियत करता है :-

प्रथम चरण	1. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की तारीख	16.04.2022
	2. नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	23.04.2022
	3. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	25.04.2022 एवं 26.04.2022
	4. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	27.04.2022 एवं 28.04.2022
	5. निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से कार्य पूर्ण होने तक)	29.04.2022
	6. मतदान की तारीख (प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	14.05.2022
	7. मतगणना की तारीख (प्रातः 8:00 बजे से)	17.05.2022

द्वितीय चरण	1. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की तारीख	20.04.2022
	2. नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	27.04.2022
	3. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	28.04.2022 से 30.04.2022
	4. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	02.05.2022
	5. निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से कार्य पूर्ण होने तक)	04.05.2022
	6. मतदान की तारीख	19.05.2022

	(प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	
7. मतगणना की तारीख (प्रातः 8:00 बजे से)		22.05.2022

तृतीय चरण	1. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की तारीख	25.04.2022
	2. नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	02.05.2022
	3. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	04.05.2022 एवं 05.05.2022
	4. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	06.05.2022 एवं 07.05.2022
	5. निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से कार्य पूर्ण होने तक)	09.05.2022
	6. मतदान की तारीख (प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	24.05.2022
	7. मतगणना की तारीख (प्रातः 8:00 बजे से)	31.05.2022

चतुर्थ चरण	1. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की तारीख	29.04.2022
	2. नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	06.05.2022
	3. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	07.05.2022 एवं 09.05.2022
	4. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख	10.05.2022 एवं 11.05.2022

	(पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	
5.	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से कार्य पूर्ण होने तक)	12.05.2022
6.	मतदान की तारीख (प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	27.05.2022
7.	मतगणना की तारीख (प्रातः 8:00 बजे से)	31.05.2022

और उपर्युक्त निर्वाचन प्रक्रमों की कण्डिका 6 में अंकित किए गए समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए विनिर्दिष्ट तिथियों की अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 एवं अनुसूची 4 में अंकित किए गए निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा ।

और उपर्युक्त अंकित निर्वाचन प्रक्रमों में प्रक्रम 1 से 5 तक की प्रक्रिया के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष को स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट करता है ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह0/—
सचिव
